संख्या:352/2022/1218/35-4-2022/35-4099/197/2021

प्रेषक,

डा0 संजीव भारद्वाज,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जौनपुर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 03 अक्टूबर,2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद-जौनपुर में शासनादेश संख्या-261/2021/2052/35-4-2021, दिनांक 26 नवम्बर, 2021 द्वारा सड़क निर्माण से संबंधित 05 कार्यों की रू0 164.25 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 75.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। जिलाधिकारी, जौनपुर द्वारा पत्र सं0-497/त्व0आ0वि0यो0/2022-23, दिनांक 06 सितम्बर, 2022 द्वारा उक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत 05 कार्यों में से 02 कार्यों हेतु प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि रू0 30.00 लाख के सापेक्ष 75 प्रतिशत से अधिक का उपभोग किया जाना इंगित किया गया है। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश से स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए द्वितीय किश्त के रूप में अनुमन्य अवशेष धनराशि रू. 45.36 लाख (रूपये पैंतालिस लाख छत्तीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू. लाख में)

क्र0	कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	विकास खण्ड–रामपुर ग्राम सभा काजीहद कोट से काजीहद अविलासपुर तक शून्य से लेपन स्तर तक कार्य	49.10	15.00	34.10
2	विकास खण्ड–रामपुर ग्राम सभा बाबतपुर जमालापुर मार्ग से नोनारी प्रजापति बस्ती तक सम्पर्क मार्ग से लेपन स्तर तक कार्य	26.26	15.00	11.26
	योग-	**75.36**	**30.00**	**45.36**

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 26 नवम्बर, 2021 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चिमत किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2023 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2023 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2023 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक-07 जून, 2022 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 45,36,000 (रूपये पैंतालिस लाख छत्तीस हजार मात्र)को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक 5054043370303 ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक-07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

संख्या:352/2022/1218(1)/35-4-2022/35-4099/197/2021/तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, वाराणसी मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, जौनपुर।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जौनपुर।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, जौनपुर।
13- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, जौनपुर।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in